Tel no. 26588980, 26588707, 26589336
Fax : 011-26588662, 26589791

तार / GRAM : विज्ञानी / SCIENTIFIC
Web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, पोस्ट बॉक्स 4911, नई दिल्ली - 110 029
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN. ANSARI NAGAR. POST BOX 4911. NEW DELHI - 110 029

ARUN BAROKA
CHIEF VIGILANCE OFFICER &
Sr. Dy. Director General (Admn.)

D.O.No.Vig/27 /2009
Dated: 19th October, 2010

Subject:- Observance of Vigilance Awareness Period, 2010

Dear Dr.

The Central Vigilance Commission has directed that the Vigilance Awareness Period be observed from 25th October to 1st November, 2010.

2. The observance of the week should commence with the pledge which is enclosed. It is expected that the Director/Officer-in-Charge of the Institutes/Centres should ensure that all officials and staff participate and take the pledge as per programme (enclosed) on 25th October, 2010 at 11 A.M., as was done last year. CVC has advised to consider the following activities during the Vigilance Awareness Period.

1. To display banners, posters etc. at prime locations in their office.
2. To organize seminars and invite prominent faculty from the areas to address the participants.
3. To organize competitive debates/lectures on anti corruption topics amongst the employees and the student levels in the colleges/schools and to distribute prizes.
4. To issue special journals during the period: and
5. To request the non-government organizations, institution and service associations in the local area to participate in the Vigilance Awareness compaign.
6. To have a dedicated toll-free hotline number to receive complaint against corruption.

In this connection, Council has also advised that a special surprise check on the sensitive areas debates, essay competition, seminars and workshops as well as cultural activities highlighting the harmful effects of corruption should be organized.

A report alongwith details of action taken i.e. photographs, CDs etc. in the matter may be intimated to the undersigned by the 25th of November, 2010 positively.

Yours sincerely,

(ARUN BAROKA)

PLEDGE

WE, THE PUBLIC SERVANTS OF INDIA, DO HEREBY SOLEMNLY PLEDGE THAT WE SHALL CONTINUOUSLY STRIVE TO BRING ABOUT INTEGRITY AND TRANSPARENCY IN ALL SPHERES OF OUR ACTIVITIES. WE ALSO PLEDGE THAT WE SHALL WORK UNSTINTINGLY FOR ERADICATION OF CORRUPTION IN ALL SPHERES OF LIFE. WE SHALL REMAIN VIGILANT AND WORK TOWARDS THE GROWTH AND REPUTATION OF OUR ORGANISATION. THROUGH OUR COLLECTIVE EFFORTS, WE SHALL BRING PRIDE TO OUR ORGANISATIONS AND PROVIDE VALUE BASED SERVICE TO OUR COUNTRYMEN. WE SHALL DO OUR DUTY CONSCIENTIOUSLY AND ACT WITHOUT FEAR OR FAVOUR.

Tel no. 26588980, 26588707, 26589336
Fax : 011-26588662, 26589791

तार / GRAM : विज्ञानी / SCIENTIFIC
Web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, पोस्ट बॉक्स 4911, नई दिल्ली - 110 029
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN. ANSARI NAGAR. POST BOX 4911. NEW DELHI - 110 029

सतर्कता / 27 / 2009
दिनांकः 19 / 10 / 2010

अरुण बरोका,
मुख्य सतर्कता अधिकारी,
वरिष्ठ महानिदेशक, (प्रशासन)

विषय सतर्कता जागरुकता पालन अवधि – 2010

प्रिय डाक्टर,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निदेश दिया है कि सतर्कता जागरुकता अवधि 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक होगी।

सप्ताह का पालन संलग्न शपथ के साथ आरम्भ होगा। केन्द्र / संस्थान के निदेशक / प्रभारी निदेशक से यह आशा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 25 अक्तूबर, 2010 को प्रातः 11 बजे कार्यक्रम के अनुसार सभी अधिकारी एवम् कर्मचारी शपथ में भाग लें, जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरुकता अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों के आयोजन करने की सलाह दी है :–

1 अपने कार्यालय के मुख्य स्थानों पर बैनर, पोस्टर आदि लगवाना।
2 सेमिनार आयोजित करना तथा प्रतिभागियों के संबोधन हेतु क्षेत्र के प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित करना।
3 वाक प्रतियोगिता आयोजित करना / कर्मचारियों तथा स्कूल / कालेज के स्तर के विद्यार्थियों में भ्रष्टाचार विरोधी विषयों पर व्याख्यान तथा पुरस्कार वितरण करना।
4 अवधि के दौरान विशेष जर्नल जारी करना।
5 स्थानीय क्षेत्र में सतर्कता जागरुकता अभियान में गैर–सरकारी संगठनों, संस्थानों तथा सेवा सहयोगियों को भाग लेने के लिए अनुरोध करना।
6 भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के लिए टोल–फ्री हॉटलाइन नम्बर देना।

इस संबंध में, परिषद ने यह भी सलाह दी है कि विशेष आकस्मिक निरीक्षण करे एवम् वाक्, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार, कार्यशाला के साथ–2 भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों को दर्शाते हुए सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन करे। इस मामले में विवरण सहित की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जैसे फोटोग्राफ, सी डी आदि अधाहस्ताक्षरी को 25 नवम्बर, 2010 तक भेजने की कृपा करें।

अरुण बरोका,
मुख्य सतर्कता अधिकारी,
वरिष्ठ महानिदेशक, (प्रशासन)

प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।